पुलिस अधीक्षक जनपद भदोही

सी.यू.जी. – 9454400307, दूरभाष- 05414-250236, ई-मेंल- spsrn-up@nic.in

प्रेस-नोट

◆थाना औराई क्षेत्र अन्तर्गत पॉक्सो एक्ट के वांछित अपराधी गिरफ्तार ,कब्जे से देशी तमंचा,जिन्दा व खोखा कारतूस बरामद अभियुक्त द्वारा पुलिस पर हमला नाकाम, आत्मरक्षार्थ फायरिंग से अभियुक्त घायल

दिनांक-28.04.2025 को थाना औराई पर प्राप्त सूचना दिनांक 25.04.2025 को नाबालिक बच्ची उम्र करीब 09 वर्ष घर से कोचिंग जा रही थी कि रास्ते में आरोपी द्वारा रोककर घर में ले जाकर छेड़खानी करने के संबन्ध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पंजीकृत अभियोग में साक्ष्य संकलन व बयान से दुष्कर्म की घटना होने पर पंजीकृत अभियोग में दुष्कर्म की धारा का बढ़ोत्तरी कर विधिक कार्यवाही प्रचलित की गई।

श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे अभियान व महिला संबन्धित अपराध में त्वरित कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 01.05.2025 को थाना औराई पुलिस टीम द्वारा उक्त अभियोम में वांछित अभियुक्त महफूज आलम उर्फ लुट्टन बाबा पुत्र अब्दुल खालिद निवासी वार्ड नं0 14 खमरिया थाना औराई जनपद भदोही उम्र करीब 38 वर्ष को माधोसिंह अण्डर पास से गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा अपने बयान में नाबालिक के साथ दुष्कर्म आरोप स्वीकार करते हुए साक्ष्य (पहना हुआ कपड़ा) के बरामदगी हेतु बताए हुए स्थान ग्राम लक्ष्मणिया के कैलाश बनिया के बाउड्री के बगल खेत में ले जाया गया जहां पर पूर्व से रखे लोडेड तमंचा जमीन खोदकर अचनाक से निकालकर पुलिस बल पर जान से मारने की नियत से फायर करते हुए भागने लगा ,जवाबी कार्यावाही व आत्मरक्षा में अभियुक्त पर फायरिंग किया गया जो उसके बायें पैर में गोली लगी जिससे वह घायल हो गया। अभियुक्त को कब्जे में लेकर समुचित ईलाज हेतु सीएचसी औराई भेजा गया है। पुलिस उच्चाधिकारीगण के नेतृत्व में फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त के कब्जे से बरामद देशी तमंचा 315 बोर,एक जिंदा व खोखा कारतूस 315 बोर व जानलेवा हमला करने के संबन्ध में मु0अ0सं0 189/2025 धारा- 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

महफूज आलम उर्फ लुट्टन बाबा पुत्र अब्दुल खालिद निवासी वार्ड नं0 14 खमरिया थाना औराई जनपद भदोही उम्र करीब 38 वर्ष (घायल)

बरामदगी का विवरण-

01 देशी तमंचा 315 बोर व 01 जिंदा व खोखा कारतूस 315 बोर

पंजीकृत अभियोगों का विवरण-

1.मु0अ0सं0- 183/2025 धारा-115(2),351(3),127(2),64(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना औराई जनपद भदोही

2.मु0अ0सं0 189/2025 धारा- 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना औराई जनपद भदोही

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0-266/2024 धारा-110,115(2),351(3),352 बीएनएस थाना औराई जनपद भदोही

2.मु0अ0सं0-370/2016 धारा- 60 अबकारी अधिनियम थाना औराई जनपद भदोही

3.मु0अ0सं0- 183/2025 धारा-115(2),351(3),127(2),64(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना औराई जनपद भदोही

4.मु0अ0सं0 189/2025 धारा- 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना औराई जनपद भदोही

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1.प्र0नि0 रामसरीख गौतम 2. उ0नि0 ऋषिदेव शुक्ला 3. हे0का0 जितेन्द्र भारती 4. हे0का0 मो0 असलम 5. कां0 संजय प्रजापति थाना औराई जनपद भदोही